मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १ सन् २०२२

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, २०२२

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अधिनियम, २०२२ है.

धारा ५५ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) की धारा ५५ में, उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(१) इस धारा के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, कोई भी व्यक्ति, ग्राम पंचायत की लिखित अनुज्ञा के बिना और इस अधिनियम के अधीन इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार के सिवाय, किसी भवन का निर्माण या किसी विद्यमान भवन में कोई परिवर्तन या परिवर्धन या किसी भवन का पुनर्निर्माण नहीं करेगा:

परन्तु ग्राम पंचायत, राज्य सरकार द्वारा विहित फीस के साथ आवेदन प्राप्त होने के पश्चात्, ऐसी कालावधि के भीतर, जैसी कि राज्य सरकार विहित करे, उसका विनिश्चय करने में असफल रहती है, तो अनुज्ञा दे दी गई समझी जाएगी:

परन्तु यह और कि भूमि की ऐसी श्रेणी पर, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, किसी भवन का निर्माण करने या किसी विद्यमान भवन में कोई परिवर्तन या परिवर्धन करने या किसी भवन का पुनर्निर्माण की करने अनुज्ञा, ऐसे प्राधिकारी द्वारा तथा ऐसी रीति में जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, प्रदान की जाएगी.".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्तमान में मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) की धारा ५५ की उपधारा (१) के उपबंध के अनुसार ग्राम पंचायत से, आवेदन प्राप्त होने की तारीख से ४५ दिन की कालावधि के भीतर किसी भवन का निर्माण या किसी विद्यमान भवन में कोई परिवर्तन या परिवर्धन या किसी भवन का पुनर्निर्माण करने की अनुज्ञा प्रदान करना अपेक्षित है और यदि ग्राम पंचायत द्वारा आवेदन नामंजूर नहीं किया जाता है तो यह उपधारित किया जाएगा कि अनुज्ञा दे दी गई है. विद्यमान उपबंध में ४५ दिन की कालावधि व्यावहारिक रूप से काफी लम्बी है और इसलिए इस कालावधि को तर्कसंगत बनाए जाने की आवश्यकता है, अत: इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संशोधन प्रस्तावित है. अब यह प्रस्तावित है कि यदि ग्राम पंचायत, राज्य सरकार द्वारा विहित शुल्क के साथ आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् ऐसी कालावधि के भीतर, जैसी कि राज्य सरकार विहित करे, उसका विनिश्चय करने में असफल रहती है, तो अनुज्ञा दे दी गई समझी जाएगी. यह भी प्रस्तावित है कि भूमि की ऐसी श्रेणी पर जैसी कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, किसी भवन का निर्माण या किसी विद्यमान भवन में कोई परिवर्तन या परिवर्धन या किसी भवन का पुनर्निर्माण करने की अनुज्ञा, ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति में, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, प्रदान की जाएगी. राज्य के औद्योगिक तथा अधोसंरचनात्मक विकास को गति प्रदान करने की दृष्टि से भूमि की कतिपय श्रेणी के लिए अनुज्ञा की प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाने के लिए ऊपर उल्लिखित संशोधन प्रस्तावित किया गया है.

२. अतएव, मूल अधिनियम की धारा ५५ को यथोचित् रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है.

३. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख ६ मार्च २०२२

रामखेलावन पटेल
भारसाधक सदस्य.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में व्याख्यात्मक ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड-२ द्वारा ग्राम पंचायत के अन्तर्गत भवन निर्माण की अनुज्ञा दिये जाने की फीस एवं कालावधि निर्धारित करने तथा ग्राम पंचायत की भूमि में भवन निर्माण इत्यादि की अनुज्ञा दिये जाने हेतु प्राधिकारी एवं रीति विहित किये जाने संबंधी विधायनी शक्तियों का प्रत्यायोजन राज्य सरकार को किया जा रहा है, जो सामान्य स्वरूप के होंगे.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) से उद्धरण.

* * * * *

धारा-५५ (१) इस धारा के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत की लिखित अनुज्ञा के बिना और इस अधिनियम के अधीन इस संबंध में बनाई गई उपविधियों के अनुसार के सिवाय, किसी भवन का परिनिर्माण नहीं करेगा या किसी विद्यमान भवन में कोई परिवर्तन या परिवर्धन नहीं करेगा या किसी भवन का पुनर्निर्माण नहीं करेगा; यदि आवेदन प्राप्त होने की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर ऐसी अनुज्ञा देने से इंकार करने की संसूचना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं दी जाती है तो यह उपधारित किया जाएगा कि अनुज्ञा दे दी गई है.

(२) यदि कोई व्यक्ति, ग्राम पंचायत की अनुज्ञा के बिना, और किन्ही ऐसी शर्तों के, जिनके अधीन अनुज्ञा दी गई है, प्रतिकूल, किसी भवन का परिनिर्माण करता है, उसमें परिवर्तन अथवा परिवर्धन करता है, या उसका पुनर्निमाण करता है, तो ग्राम पंचायत ऐसे व्यक्ति को लिखित सूचना द्वारा ऐसा निर्देश दे सकेगी कि वह ऐसे परिनिर्माण, परिवर्तन, परिवर्धन या पुनर्निर्माण को रोक दे और सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर ऐसे परिनिर्माण, परिवर्तन, परिवर्धन या पुनर्निर्माण को परिवर्तित कर दे, या गिरा दे, जैसा कि वह लोक हित में आवश्यक समझे;

(३) यदि कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत द्वारा उपधारा (२) के अधीन तामील की गई सूचना में अन्तर्विष्ट निर्देशों का पालन ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर नहीं करता है तो ग्राम पंचायत स्वयं ऐसी कार्यवाही जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाने के लिए अपेक्षित है, ऐसे व्यक्ति के व्यय पर कर सकेगी और ऐसे व्यय का संदाय उस व्यक्ति द्वारा उस तारीख से, जिसको ग्राम पंचायत द्वारा मांग सूचना तामील की गई है, तीस दिन के भीतर किया जाएगा. विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर व्ययों का संदाय न किये जाने पर, उनकी वसूली भू-राजस्व के बकाया के तौर पर की जावेगी.

(३-क) उपधारा (३) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जो कोई इस धारा के किन्ही उपबन्धों का या उसके अधीन बनाए गये नियमों या उपविधियों का या ग्राम पंचायत द्वारा दी गई अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन करता है या उपरोक्त में से किन्हीं उपबन्धों के अधीन दिये गये किन्ही विधिपूर्ण निर्देशों या अध्यपेक्षाओं का पालन करने में असफल रहता है, तो वह ग्राम पंचायत द्वारा या इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अभियोजित किया जा सकेगा और दोषसिद्धि पर वह साधारण कारावास से जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, और अपराध के चालू रहने की दशा में ऐसे और जुर्माने से जो प्रथम दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जिसको कि अपराध चालू रहता है, दो सौ पचास रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा.

(४) उपधारा (२) के अधीन ग्राम पंचायत के किसी निदेश या सूचना के विरुद्ध अपील विहित प्राधिकारी को की जा सकेगी और विहित प्राधिकारी का ऐसी अपील पर विनिश्चय अंतिम होगा.

* * * * *

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.